[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ii, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 01/2020 – केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे)

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई,2020

सा.का.नि.-(अ). वित्त (सं.2) अधिनियम,2019 (2019 का 23)की धारा 132 की उपधारा (1) और (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, सब का विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना नियमावली, 2019 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा –

1 (i) इन नियमों को सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) स्कीम(संशोधन) नियम 2020 कहा जाएगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगें।

2. सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) स्कीम नियमों, 2019 (एतस्मिन पश्चात इसे उक्त नियमों के रूप में संदर्भित किया गया है) के नियम 6 में-

i) उपनियम (2) में इन शब्दों– " घोषणा प्राप्त किए जाने की तारीख के साठ दिनों की अवधि के अंदर " के स्थान पर " मई 2020 के 31वें दिन अथवा उससे पहले " को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

ii) उपनियम 3 में इन शब्दों – " नियम (3) के उपनियम (1) के तहत घोषणाप्राप्त होने की तारीख के तीस दिनों के अंदर" के स्थान पर " मई 2020 के पहले दिन (1.05.2020) अथवा उससे पहले " को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. उक्त नियमों में, नियम 7 मे इन शब्दों –" इसके जारी होने की तारीख के तीस दिनों के भीतर " के स्थान पर "जून 2020 के 30वें दिन अथवा उससे पहले " को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[मि.सं. 267/50/2020 सी एक्स.8]

गौरव सिंह

(गौरव सिंह)

उप-सचिव, भारत सरकार

नोट – मुख्य नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण संख्या सा.का.नि. 588 (अ), दिनांक 21 अगस्त 2019 को प्रकाशित हुए थे।